



Publication	The Times of India	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	TNN
Date	07/06/2023	Page no	16
CCM	41.32		

## Jan aushadhi units to be opened at 2,000 farm credit societies



This important decision will not only increase the income of PACS and create employment opportunities but also make medicines available at affordable prices to the people, Amit Shah said

### TIMES NEWS NETWORK

**New Delhi:** Two thousand primary agricultural credit societies (PACS) will be identified to open Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendras (PMBJK) by the end of this year.

While 1,000 Jan Aushadhi Kendras will be opened by August, remaining 1,000 will be opened by December. The decision on this was taken Tuesday in a meeting of Union home and cooperation minister Amit Shah with minister of chemicals and fertilisers Mansukh Mandaviya.

“This important decision will not only increase the income of PACS and create employment opportunities but also make medicines available at affordable prices to the people, especially those living in rural areas,” said the ministry of cooperation in a statement.

The PMBJK is opened to provide quality medicines at affordable prices to the masses through dedicated outlets. They provide generic medicines at much lesser price. The potency of these medicines is the same as that of expensive branded medicines available in the open market.

So far, more than 9,400 PMBJK have been opened across the country. Total 1,800 types of medicines and 285 medical devices are available in these Jan Aushadhi Kendras. Medicines at such centres are available at 50% to 90% lesser rate in comparison to the branded medicines.

The eligibility criteria for the individual applicants to open PMBJK is to have D. Pharma/B. Pharma degree. Any organisation, NGO, charitable organisation and hospital can apply for this by appointing B.Pharma / D.Pharma degree holders.

“For opening Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra at least 120 square feet space either privately owned or rental should be available. The application fee for Jan Aushadhi Kendra is Rs 5,000. Women entrepreneurs, Divyang, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-Servicemen come under Special Category: Aspirational Districts, Himalayan Mountain Region, North-Eastern States and Islands are in Special Areas. There is an exemption in application fee for applicants from special categories and special areas,” said the ministry.



Publication  
Edition  
Date  
CCM

The Tribune  
New Delhi  
07/06/2023  
3.97

Language  
Journalist  
Page no

English  
Bureau  
14

# 2,000 PACS to open Jan Aushadhi centres

**NEW DELHI:** The Centre has allowed 2,000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) to open PM Bhartiya Jan Aushadhi Kendras by year-end. TNS



Publication	Financial Express	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	PTI
Date	07/06/2023	Page no	2
CCM	5.73		

## 2,000 PACS can open Jan Aushadhi Kendras

THE COOPERATION MINISTRY on Tuesday said the government has decided to allow 2,000 primary agricultural credit societies (PACS) to open Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendras. Around 1,000kendras will be opened by August, the rest by December. **PTI**



Publication	The Economic Times	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	07/06/2023	Page no	4
CCM	9.65		

**ACROSS INDIA BY  
DECEMBER END**

## **Jan Aushadhi Centres at PACS**

New Delhi: The Central government on Tuesday decided to allow 2,000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) to open Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendras across the country by December end, this year-- a move to increase the income of PACS and create employment opportunities as well as medicines available at affordable prices to people. 2,000 PACS across the country will be identified to open PM Bhartiya Jan Aushadhi Kendras.—OPB



Publication	The Hindu Business Line	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	07/06/2023	Page no	8
CCM	27.11		

## Suresh Prabhu panel on co-operative policy to submit report next month

### Our Bureau

New Delhi

The 49-member committee headed by former minister Suresh Prabhu working on the draft national cooperation policy has been asked to submit its report next month, keeping in mind Centre-State relations, since cooperatives are a State subject. The likely recommendations may include setting up national-level cooperatives and expansion of primary agricultural credit societies (PACS), which have already been announced by the Centre, sources said.

Cooperation Minister Amit Shah shared his inputs when panel members, including Chairman Prabhu, met him on Monday, an official statement said.

As the committee was formed in

September 2022, Shah asked the panel to finalise the report and submit it in July, sources said. He also advised the committee to draft the recommendations carefully, after taking inputs from stakeholders including States, Central ministries, and national cooperatives, the sources said.

### CHANGED ECONOMIC SCENARIO

The current policy on co-operation was formulated in 2002; the need for a new national policy arose to deal with the changed economic scenario and to realise Prime Minister Narendra Modi's vision of 'Sehkaar se Samriddhi', the Cooperation Ministry said.

"As per the guidance received from the Minister of Cooperation, the committee will prepare the revised draft," the ministry said.

## दिसंबर तक दो हजार जन औषधि केंद्र खोलेंगी पैक्स...रोजगार बढ़ने के साथ मिलेंगी सस्ती दवाएं

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में छोटी सहकारी समितियों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को 2 हजार प्राथमिक ऋण समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया।

गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत दिसंबर तक 2000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इस फैसले से जहां पैक्स की आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी। देश में



गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई विशेष बैठक में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। एजेंसी

मौजूदा समय में करीब 9400 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं। इसमें 1800 प्रकार की दवाइयां, 285 प्रकार के मेडिकल उपकरण मिलते हैं। इनमें मिलने वाली दवाएं ब्रांडेड की तुलना में 50 से 90 फीसदी तक सस्ती होती हैं।

■ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है डीफार्मा, बीफार्मा : जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 120 वर्ग फुट जगह और 5000 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए आवेदकों को डीफार्मा, बीफार्मा होना चाहिए। कोई भी संगठन, एनजीओ, धर्मार्थ संगठन, एवं हॉस्पिटल जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन के लिए बीफार्मा, डीफार्मा डिग्री धारकों की सेवाओं भी ले सकता है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आएंगे।

## दो हजार पैक्स को मिलेगी जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देशभर की दो हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए दो हजार पैक्स की पहचान की जाएगी। इनमें से एक हजार पैक्स को इसी वर्ष अगस्त तक और शेष एक हजार को दिसंबर तक जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति मिल जाएगी। ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर दवाएं मिलती हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की नई दिल्ली में मंगलवार को रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय से खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसका ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। देशभर में अब तक 9,400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य, रसायन तथा उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने पैक्स को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति के लिए बैठक में हिस्सा लिया।

जा चुके हैं। यहां पर 1,800 तरह की दवाएं एवं 285 अन्य मेडिकल उपकरण उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदकों को मानदंड के तहत व्यक्तिगत पात्रता डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए।

**क्या होगी पात्रता:** कम-से-कम 120 वर्ग फीट स्थान होना चाहिए। आवेदन शुल्क पांच हजार रुपये है। विशेष श्रेणी एवं विशेष क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, एससी-एसटी और भूतपूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं। आकांक्षी जिले, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य एवं द्वीप समूह के आवेदक विशेष क्षेत्र में आएंगे। प्रोत्साहन राशि पांच लाख रुपये (मासिक खरीद का 15 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपये प्रति माह) है। विशेष श्रेणियों एवं क्षेत्रों में आइटी और संरचना व्यव के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।



Publication  
Edition  
Date  
CCM

Hindustan  
New Delhi  
07/06/2023  
69.79

Language  
Journalist  
Page no

Hindi  
Bureau  
1, 12

# दो हजार जनऔषधि केंद्रों को मंजूरी

केंद्र ने दो हजार प्राथमिक  
कृषि ऋण समितियों को  
जनऔषधि केंद्र खोलने की  
मंजूरी दे दी है।

**P12**

एक हजार केंद्र इस वर्ष अगस्त तक और बाकी दिसंबर तक खोलने की योजना

# मंजूरी : देशभर में दो हजार नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे

## निर्णय

नई दिल्ली, एजेंसियां। भारत सरकार ने दो हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि एक हजार जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और शेष दिसंबर तक खोले जाएंगे। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव, रसायन एवं उर्वरक विभाग के सचिव और सहकारिता मंत्रालय व रसायन एवं उर्वरक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

कम कीमत पर मिलती हैं दवाइयां : देशभर में अब तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इनमें 1800 प्रकार की दवाइयां और 285 अन्य मेडिकल डिवाइस मौजूद हैं। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50 से



नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया। • प्रेर

90 फीसदी तक कम कीमत पर दवाइयां मिलती हैं।

कौन खोल सकता है केंद्र : जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपये है। केंद्र खोलने के लिए पात्रता मानदंड के तहत व्यक्तिगत आवेदकों को डी. फार्मा या बी. फार्मा होना चाहिए। अगर संगठन, एनजीओ, धर्मार्थ संगठन एवं हॉस्पिटल को केंद्र खोलना हो तो वह बी.फार्मा या

डी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर सकता है। केंद्र के लिए खुद का या किराए का कम से कम 120 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। विशेष श्रेणी एवं विशेष क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट है।

प्रोत्साहन राशि : प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए प्रोत्साहन राशि पांच लाख रुपये (मासिक खरीद का 15 फीसदी या अधिकतम रुपये

## केंद्र ने महिलाओं को 27 करोड़ मुद्रा ऋण बांटे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने उन महिला उद्यमियों को 27 करोड़ मुद्रा ऋण बांटे हैं, जिन्होंने अपनी नारी शक्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आठ अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करना है। पीएमएमवाई के तहत ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

15,000 प्रति माह) है। विशेष श्रेणियों एवं क्षेत्रों में आईटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

ये हैं मकसद : इस फैसले से पैक्स की आय बढ़ेगी। रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध होंगी।

## देशभर में 2000 पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला



### डी फार्मा होना अनिवार्य

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख एस मांडविया के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। देशभर में 2000 पीएसीएस की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में खोलने के लिए पहचान की जाएगी, इनमें से 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से पीएसीएस की आय बढ़ने और रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव, रसायन एवं उर्वरक विभाग के सचिव और सहकारिता मंत्रालय व रसायन एवं उर्वरक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। देशभर में अभी तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता मानदंड के तहत व्यक्तिगत आवेदकों को डी. फार्मा या बी. फार्मा होना चाहिए। इसके लिए कोई भी संगठन, एनजीओ, धर्मार्थ संगठन एवं हॉस्पिटल आवेदन के लिए बी.फार्मा व डी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए स्वयं या किराए का कम से कम 120 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपए है।

चुके हैं। इनमें 1800 प्रकार की दवाइयां एवं 285 अन्य मेडिकल ड्रिग्स उपलब्ध हैं। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50 फीसदी से 90 फीसदी तक कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हैं। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं। आकांक्षी जिले, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य और द्वीप समूह विशेष क्षेत्र में हैं।

अमित शाह की मंत्री मांडविया के साथ हुई बैठक में किया निर्णय

## 2000 कृषि ऋण समितियों में खुलेंगे पीएम जन औषधि केंद्र

एक हजार जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएंगे

पत्रिका ब्यूरो  
patrika.com

नई दिल्ली. भारत सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की



रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख एस मांडविया के साथ मंगलवार को यहां हुई एक बैठक में यह निर्णय किया गया। देशभर में 2000 पैक्स की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में खोलने के लिए पहचान की जाएगी, इनमें से 1000

जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से पैक्स की आय बढ़ने और रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती कीमत पर

दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। देशभर में अभी तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इनमें 1800 प्रकार की दवाइयां एवं 285 अन्य मेडिकल ड्रिग्स उपलब्ध हैं। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता मानदंड के तहत व्यक्तिगत आवेदकों को डी. फार्मा/बी. फार्मा होना चाहिए। इसके लिए कोई भी संगठन, एन.जी.ओ., धर्मार्थ संगठन एवं

हॉस्पिटल आवेदन के लिए बी.फार्मा, डी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए स्वयं या किराए का कम से कम 120 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपए है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं। आकांक्षी जिले, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य और द्वीप समूह विशेष क्षेत्र में हैं। विशेष श्रेणी एवं विशेष क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट है।

\*\*\*\*\*